कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

Email ID – dfosiwalik@yahoo.co.in Fax No. 0132-2725382 पता–82 राज विहार कालोनी, पेपर मिल रोड

पत्रांकः–1586/22–1 सहारनपुर, दिनांक, 23/ नवम्बर 2016

अधिहरित वाहनों की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के अधिहरित वाहनों का आम नीलाम **दिनांक–15.12.2016 को दोपहर 12.00 बजे बडकला रेंज, बादशाहीबाग वन विश्राम गृह परिसर** में किया जायेगा। इच्छुक केता निश्चित तिथि एवं समय पर नीलामी में भाग ले। उक्त वाहनो को जहां जैसी स्थिति में है, उसी अनुसार नीलाम किया जायेगा।

अधिहरित वाहनों को सम्बन्धित रेंज में देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय, 82 राजविहार कालोनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय, मोहण्ड, शाकुम्भरी तथा बडकला रेंज, बादशाहीबाग में अधिहरित वाहनों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अधिहरित वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार है :–

1 नीलाम से पूर्व केता को विभाग में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। बिना पंजीकरण के नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।

2 नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी। नीलामी मे भाग लेने से पूर्व केता को अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/आधार कार्ड, फोटो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3 जिन केताओं की ओर विगत वर्षो में कय की गयी लाटो की धनराशि शेष हो या ब्लैक लिस्ट किया गया हो, उन्हें नीलाम में बोली देने की आज्ञा नही दी जायेगी।

4 केताओं को चाहियें कि वे पर्याप्त धनराशि अपने साथ लाये, क्योंकि अधिहरित वाहनों की लाटो की समस्त धनराशि, जिसमें विकय मूल्य, आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, लाट ब्रिकी के तुरन्त बाद लागू दरों के आधार जमा करनी होगी। जमा की गयी धनराशि की पक्की रसीद ई–3 तुरन्त प्राप्त कर लें। नीलामी के लिये सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिकी के सामान्य नियम लागू होगें।

5 केताओं को चाहिये कि बोली देने से पूर्व लाटो का भली भांति निरीक्षण कर लें। लाट विकय होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की शिकायत निराधार समझी जायेगी।

6 केताओं को नीलाम से पूर्व नीलाम में प्रवेश करने हेतु रू0 1000 जमा करने आवश्यक होगें। जो केता नीलाम मे गडबडी करेगा, उसे नीलाम में भाग लेने नही दिया जायेगा। बोली देकर यदि कोई केता भाग जाता है, तो उसकी बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7 अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह लाटो की बिकी का कम बदल दे, किसी लाट का नीलाम स्थगित कर दें। कई लाटो को मिलाकर एक ही लाट बना दें या टुकडे कर दें।

8 लाटो में कार्य आदेश लेने के समय केता को पक्की रसीद ई–3 आवश्य दिखानी होगी। पक्की रसीद ई–3 दिखाने पर ही कार्यादेश दिया जायेगा।

9 वन उपज/अधिहरित वाहन का ठेका लेने से पूर्व केता को आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छाया प्रति तथा व्यापार कर विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 अधिहरित वाहनों का नीलाम कबाड के रूप किया जायेगा। वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

11 किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।

Compaq6/R.C./Nilam